राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(3)वित्त/कर/2025 जयपुर, दिनांक 31 DEC 2025

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2025–26 की दिनांक 19.12.2025 को कर भवन, जयपुर में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित उपायुक्त को योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	मोहन लाल मीणा	अजजा अनारक्षित पद के विरूद्ध	01.04.2025

उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद पर, इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेगें, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदो के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपर्युक्त आदेश जारी करेगें।

निम्नलिखित अधिकारियों के सुसंगत पूर्ण रिकार्ड/सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति ने इनके प्रकरण आस्थगित (डेफ़र) करते हुए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा की है :–

क्र.सं.	नाम
1.	श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी
2.	श्री रविन्द्र कुमार

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

31.12.2025
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)